संख्या -11/2020/654/77-3-2020-15बजट/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2020

विषय- उ0प्र0 में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना हेतु भूमि क्रय हेतु रू0 15.00 करोड जिलाधिकारी झांसी को आवंटित करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्रांक-8187/यीपूडा/08/147/992, दिनांक **28.02.2020** का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ''5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' के अन्तर्गत प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0 316.5662 करोड में से भूमि क्रय/अर्जन/पुर्नग्रहण हेतु रू0 15.00 करोड (रूपये पन्द्रह करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने कीश्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, झांसी के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।
(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।
(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, झांसी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।
(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/ 2019 दि0 22.03.2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-07 के लेखा शीर्षक ''5054-सडको तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सडक निर्माण कार्य 08-बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना 24-वृहद निर्माण कार्य'' निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या -11/2020/654(1)/77-3-2020 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, झांसी।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

अनिल कुमार
संयुक्त सचिव।